न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 51/2019 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00703

उनवान

1. श्रीमती केशी पत्नी केवजी पटेल निवासी ईन्टालीखेडा पुलिस थाना सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. श्री भगु पिता जगजी कुम्हार उम्र बालिग निवासी ईन्टालीखेडा पुलिस थाना झल्लारा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री हिरा पिता धनजी पटेल उम्र बालिग निवासी ईन्टालीखेडा पुलिस थाना झल्लारा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्री देविंग पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी खेरूआ पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्री देवा पिता दल्ला डांगी उम्र बालिग निवासी ईन्टाली भागल पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।
5. श्री गोता पिता अमरा डांगी उम्र बालिग निवासी ईन्टाली भागल पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।
6. श्री धन्ना पिता अमरा डांगी उम्र बालिग निवासी ईन्टाली भागल पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।
7. श्री देवीलाल पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी खेरूआ पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।
8. श्री हिरालाल पिता दलजी डांगी उम्र बालिग निवासी खेरूआ पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 29–12–2025

उपस्थितः– श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता –वादीया
प्रतिवादीगण– एक पक्षीय

::निर्णय::

वादीया के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादीया मौजा ईन्टालीखेडा की कृषि भूमि खाता नं. 577, आराजी नं. 3569, रकबा 0.07 हे. की एकमात्र खातेदार काश्तकार है जिसमें तमाम प्रतिवादीगण जिनका उक्त भूमि मे कोई हिस्सा, स्वामित्व आधिपत्य आदि नही है, नही उक्त भूमि उनके खाते दर्ज है। जबरन सभी मुझ वादीया की जमीन प्रतिवादीगण राजबल, धनबल, बाहुबल बनकर बेदखल करने को आमादा है। अभी हाल तारीख 23–9–2019 प्रतिवादीगण हमसलाह होकर वादीया की उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा करने की नियत से ट्रेक्टर, जेसीबी व मजदूर लेकर आये एवं कब्जे करने की नियत से नींव खोदने का प्रयास करने लगे जिसकी सूचना मुझ वादीया को लगी तो मैं वादीया अपने परिवारजनों के साथ मौके पर गई एवं प्रतिवादीगण को अनाधिकृत रूप से

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नींव खोदने से मना किया जिस पर प्रतिवादीगण उग्र हो गये एवं हमे जान से मारने की धमकी देने लगे और धमकी देकर गये है कि उक्त भूमि पर येनकेन प्रकारेण हम कब्जा करके रहेंगे। मुझ वादीया एवं परिवारजनों के द्वारा प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा करने से रोका गया एवं उक्त कार्य नही करने हेतु कहा गया किन्तू प्रतिवादीगण हमारी बात सुनने को तैयार नही है जबकि उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण का दूर दूर का संबंध नहीं है। इसलिये वादीया एवं उसके परिवारजन एक शान्तिप्रिय प्रिय व्यक्ति है जो झगडा नही कर सकते है इसलिये न्याय के लिये वादीया को मजबुर होकर यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना पड रहा है। यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो तमाम प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर सकते है। यदि शीघ्र स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो वादी को जो क्षति होगी उसकी रूपयों पैसो में मूल्यांकन नही हो पाएगा एवं वादी को अनेक वाद लाने पड़ेंगे जिससे वादी को महान असुविधा होगी। अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे –

(क) कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कम संख्या 2 दो में वर्णित खाता नं. 577 की आराजी नम्बर 3569 रकबा 0.07 हे. कृषि भूमि में वादीया के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं नही कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करे एवं नही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का जबरन कच्चा अथवा पक्का निर्माण करे एवं नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरों अथवा मजदूरों से करावें।

(ख) कि दौराने वाद उक्त भूमि पर यदि प्रतिवादीगण जबरन किसी प्रकार का कब्जा, निर्माण कर लेते है तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चा से हटवाया जावें।

(ग) कि अन्य उचित व आवश्यक दाद जो न्याय हित में वादी को दिलाई जा सके वह दिलवाई जावे एवं वाद व्यय दिलाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 24–10–2019 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री परमानन्द मेहता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब प्रतिवादीगण हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रतिवादीगण पेश नही किया एवं आदेशिका दिनांक 15–12–2025 को प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीया ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 स्वयं वादीया, पी.डब्ल्यू. 2 श्री हीरालाल पिता केवजी पटेल, पी.डब्ल्यू 3 श्री महेन्द्र पिता हिरालाल पटेल के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 577, प्रदर्श 2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 3–जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 की नकल, प्रदर्श 4 मिसल बन्दोबस्त, प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेश पेश किया। प्रतिवादीगण ने न तो जवाब पेश किया न ही कोई साक्ष्य पेश किराये आदेशिका दिनांक 15–12–2025 को प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादीया ने बहस करते हुए वादपत्र को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादीया वादग्रस्त भूमि खाता नं. 577, आराजी नं. 3569 की एकमात्र खातेदार काश्तकार है और शांतिपूर्वक कब्जे में है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक कब्जा व निर्माण का प्रयास किया जाता है। धारा 188 के अनुसार किसी खातेदार को बल प्रयोग से बेदखल नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों तत्व वादीया के पक्ष में हैं। यदि रोक नहीं लगी तो वादीया को गंभीर नुकसान होगा। अतः न्यायहित में निवेदन है कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया जाए एवं वादीया का स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद डिक्री किया जावे।

वादीया की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादीया गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 साबिक आराजी नम्बर 2082/2 रकबा 3 बिघा भूमि सूरज गिरी पिता देवगीरी गोस्वामी के नाम दर्ज है। उक्त साबिक आराजी 2082 के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 अनुसार नये नम्बर 3568 रकबा 0.47, 3569 रकबा 0.18 हैक्टेयर बने। वादीया द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 23–05–2014 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23–05–2014 द्वारा सुरजगिरी पिता देवगिरी से आराजी नम्बर 1636 रकबा 0.14 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3568 रकबा 0.11, 3569 रकबा 0.07 हैक्टेयर क्रय की। प्रदर्श 1 राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 मौजा ईण्टालीखेडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा आराजी नम्बर 3569 रकबा 0.07 हैक्टेयर मे वादीया का नाम दर्ज है। वादी वाद वर्णित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादीया का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा ईण्टालीखेडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा आराजी नम्बर 3569 रकबा 0.07 हैक्टेयर वादीया के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे तथा न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का जबरन कच्चा अथवा पक्का निर्माण करे एवं ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय दिनांक **29–12–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)</u>

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 51/2019 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00703

उनवान

1. श्रीमती केशी पत्नी केवजी पटेल निवासी ईन्टालीखेडा पुलिस थाना सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादीया

बनाम

1. श्री भगु पिता जगजी कुम्हार उम्र बालिग
2. श्री हिरा पिता धनजी पटेल उम्र बालिग
3. श्री देविंग पिता गोता डांगी उम्र बालिग
4. श्री देवा पिता दल्ला डांगी उम्र बालिग
5. श्री गोता पिता अमरा डांगी उम्र बालिग
6. श्री धन्ना पिता अमरा डांगी उम्र बालिग
7. श्री देवीलाल पिता गोता डांगी उम्र बालिग
8. श्री हिरालाल पिता दलजी डांगी उम्र बालिग

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7, 8 निवासी खेरूआ पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक निवासी ईन्टाली भागल पुलिस थाना सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

डिक्री दिनांकः 29—12—2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29—12—2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि दावा वादीया स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा ईण्टालीखेडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा आराजी नम्बर 3569 रकबा 0.07 हैक्टेयर वादीया के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे तथा न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का जबरन कच्चा अथवा पक्का निर्माण करे एवं ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनांक **29—12—2025** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर